

महिला आरक्षण वधियक, 2023 में परसीमन संबंधी चर्चाएँ

प्रलिस के लयः

महला आरक्षण वधियक, 2023, परसीमन आयोग, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170

मेन्स के लयः

भारतीय संवधान, चुनाव, वैधानक नक्या, परसीमन प्रकरया

[सरोतः इंडयन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारतीय संसद में [महला आरक्षण वधियक, 2023](#) का पारतः होना देश के राजनीतक परदृश्य में [लैंगक समानता](#) की दशा में एक ऐतहासकः उपलब्धमानी गई है।

- हालाँकः इस ऐतहासकः कानून का भवष्य वर्तमान में [परसीमन](#) के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, जसकी वषकषी दलों ने आलोचना की है।

परसीमनः

परचयः

- परसीमन प्रत्येक नरवाचन क्षेत्र में मतदाताओं की समान संख्या सुनश्चितः करने के लयः संसदीय या वधानसभा सीट की सीमाओं को फरः से नरधारतः करने की प्रकरया है।
- यह प्रत्येक जनगणना के बाद कुछ वर्षों में कया जाता है ताकः यह सुनश्चितः कया जा सके कः देश भर में प्रत्येक नरवाचन क्षेत्र का लोकसभा और राज्य वधानसभा दोनों में एक प्रतनधः हो।
- परसीमन जनसंख्या वृद्धः को राज्य में नरवाचतः वधियकों की संख्या से जोड़ता है, जससे यह सुनश्चितः होता है ककःसी भी प्रतनधः का प्रतनधःतःव अधकः या कम न हो।

परसीमन से संबंधतः संवधानकः प्रावधानः

अनुच्छेद 82ः

- संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परसीमन अधनयःम बनाती है। यह अधनयःम संसद को लोकसभा और राज्यों की वधानसभाओं में सीटों के आवंटन को फरः से समायोजतः करने की अनुमताः देता है।

अनुच्छेद 170ः

- यह लेख राज्य वधानसभाओं की संरचना से संबंधतः है, जसमें न्यूनतम 60 सदस्य और अधकःतम 500 सदस्य नरदषःतः हैं।
- जनसंख्या, जैसा कः सबसे हालया जनगणना द्वारा नरधारतः की गई है, परसीमन और सीट वतरण का आधार बनती है।

परसीमन आयोगः

- परसीमन आयोग अधनयःम वर्ष 1952 में बनाया गया था।
 - एक बार अधनयःम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार एक परसीमन आयोग का गठन करती है।
- वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनयःमों के आधार पर चार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परसीमन आयोगों का गठन कया गया है।
- परसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपतः द्वारा कया जाता है तथा यह भारत नरवाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- आयोग का मुख्य कार्य हाल की जनगणना के आधार पर सीमाओं को फरः से तैयार करना है।
- लोकसभा और राज्य वधानसभा नरवाचन क्षेत्रों की वर्तमान सीमाएँ वर्ष 2002 के परसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई थीं।
 - 42वें संशोधन अधनयःम, 1976 ने वर्ष 1971 के परसीमन के आधार पर लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशकः नरवाचन क्षेत्रों में वभाजन पर रोक लगा दी।

- वर्ष 2001 में संविधान के 84वें संशोधन के साथ इस प्रतबंध को वर्ष 2026 तक के लिये बढ़ा दिया गया।

महिला आरक्षण वधियक, 2023 का परसीमन से संबंध:

- भारत सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण वधियक, 2023 जनगणना के आँकड़ों के आधार पर परसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही लागू होगा, इसमें **कोविड-19 महामारी** और कई अन्य कारणों से देरी हुई है, जिसे अगले आदेश वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है।
- सरकार ने तर्क दिया है कि आरक्षण को परसीमन से जोड़ने से **महिलाओं हेतु सीटों का पारदर्शी** तथा नषिकष आवंटन सुनिश्चित होगा और **पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिये सीटों की कुल संख्या में भी वृद्धि** होगी, क्योंकि परसीमन अभ्यास से लोकसभा व राज्य विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

परसीमन को लेकर चर्चाएँ:

- **संभावित कम प्रतिनिधित्व:**
 - प्राथमिक चर्चाओं में से एक यह है कि यदि जनसंख्या मापदंडों के आधार पर परसीमन किया जाता है, तो **तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्य** और अन्य जिनोंने **जनसंख्या नयितरण उपायों** को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें संसद में कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ सकता है।
 - यह डर इस संभावना से उत्पन्न होता है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्य, जैसे **बिहार और उत्तर प्रदेश, दक्षिण की कीमत पर संसद में अधिक सीटें हासिल कर सकते हैं।**
 - **देश की आबादी** का केवल **18%** होने के बावजूद दक्षिणी राज्य देश की **GDP में 35% का योगदान करते हैं।**
 - नेताओं का तर्क है कि उनकी **आर्थिक ताकत** राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रतिबिंबित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।
 - दक्षिण के राजनीतिक नेताओं को चर्चा है कि लोकसभा सीटों की संख्या उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ने से राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण की राजनीतिक आवाज़ कम मुखर हो सकती है।
- **महिला आरक्षण वधियक से जुड़ाव:**
 - महिला आरक्षण वधियक के क्रियान्वयन को परसीमन से जोड़ने का सरकार का फैसला वषिकषी दलों के लिये बड़ी चर्चा का वषिय है।
 - वषिकष का तर्क है कि दोनों मुद्दों को जोड़ने का कोई स्पष्ट कारण या आवश्यकता नहीं है, क्योंकि **महिला आरक्षण वधियक की पछिली चर्चाओं** में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था।
 - उनका सुझाव है कि सरकार **महिलाओं के आरक्षण को जनगणना और परसीमन से अलग करने का विकल्प चुन सकती थी। एक सरल वधियक सभी दलों को लोकसभा की वर्तमान संरचना के अंदर महिलाओं के लिये 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुमति दे सकता था।**

POPULATION-SEAT RATIO BROADLY EQUITABLE ACROSS INDIA

State	1961 population	1967 seats	Popn/seat ratio, 1967	1971 population	1976 seats	Popn/seat ratio, 1976
UP	7,01,43,635	85	8,25,219	8,38,48,797	85	9,86,456
Bihar	3,48,40,968	53	6,57,377	4,21,26,236	54	7,80,115
Rajasthan	2,01,55,602	23	8,76,331	2,57,65,806	25	10,30,632
Tamil Nadu	3,36,86,953	39	8,63,768	4,11,99,168	39	10,56,389
Kerala	1,69,03,715	19	8,89,669	2,13,47,375	20	10,67,369
India	43,92,34,771	520	8,44,682	54,81,59,652	542	10,11,365

PROJECTED 2025 POPULATION, SEATS AT MULTIPLE RATIOS

States	Current seats	2025 projected population (in thousands)	Seats at the same ratio as last time (10.11 lakh)	Seats at 15 lakh ratio	Seats at 20 lakh ratio
UP	85	2,52,342	250	168	126
Bihar	54	1,70,890	169	114	85
Rajasthan	25	82,770	82	55	41
Tamil Nadu	39	77,317	76	52	39
Kerala	20	36,063	36	24	18
India	545	14,13,324	1,397	942	707

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. परसीमन आयोग के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2012)

1. परसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
2. परसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य वधिनसभा के सममुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)